रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 28 अगस्त, 2000/6 भाद्रपद, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि०-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 5 अगस्त, 2000

संख्या कार्मिक (निमुक्ति-II)बी(19)-11/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्या पीईआर-एपी(II) बी (19)-11/86, तारीख 29-8-1986 को लोकहित में तुरन्त विखण्डित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

ए० के० गोस्वामी,
मुख्य सचिव ।

1334-राजपत्र/2000-28-8-2000—1,398. (2697) मूल्य : 1 रुपया ।

[*Authoritative English Text of this Departmment Notification No. Per (AP-II) B* (19)-11/86, *dated* 5-8-2000 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

PERSONNEL (AP-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 2000

No. Per(AP-II) B (19)-11/86.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (Act No. 13 of 1985), read with Section 21 of General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to rescind this Government Notification No. Per (AP-II) B (19)-11/86, dated 29-8-1986 with immediate effect in public interest.

By order,

A. K. GOSWAMI,
Chief Secretary.

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th August, 2000

No. EDN-A-Kha. (3) 6/94.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promote Shri Lal Man Dogra, Principal, Government College Una, as Joint Director of Education (Colleges) in the pay Scale of Rs. 3700—5700 (UGC Scale Pre-revised) on regular basis, with immediate effect, in public interest.

Shri Dogra shall be on probation for a period of two years or till retirement, whichever is earlier.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post Shri Lal Man Dogra, as Joint Director in the Directorate of Education, Shimla.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th August, 2000

No. FDS-B(2)-2/2000.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of thepowers conferred under section 10(1A)(2) of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by the Act 50 of 1993) read with rule 8 and 9 of H. P. Consumer Protection Rules, 1988 and on the recommendations of the Selection Committee, is pleased to appoint Shri Anand Sarup Bhardwaj, Advocate,

District Courts, Hamirpur (H. P.) as President of the District Consumer Disputes Redressal Forum, Una for a term of five years or upto the age of 65 years, whichever is earlier, with effect from the date of assumption of the charge.

The terms and conditions of the appointment of Shri Anand Sarup Bhardwaj, Advocate to the post of President, District Disputes Redressal Forum, Una are being issued separately.

By order,

S. S. NEGI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

उद्योग विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 5 अगस्त, 2000

संख्या इण्ड-ए (एफ) 10-1/99.— इस विभाग द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-3-2000 जिसके माध्यम से एल0 एण्ड टी0 प्राईवेट लि0 के लिए ग्राम भण्डार, शैली व मंजीर में सीमेंट प्लांट तथा टाउनशिप की स्थापना हेतु भू-अर्जन करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

अधिसूचना में प्रकाशित		अब पढ़ा जाए	
खसरा नम्बर	क्षेत्र (बिघा बिस्वा)	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बिघा बिस्वा)
1	2	3	4
ग्राम भण्डार :			
197	0 7	162	0 7
20	0 8	230	0 8
543	0 5	5 42	0 5
ग्राम शेली :			
487	0 6	387	0 6
391	0 6	391	0 9
279/368	1 3	579/368	1 3
107	0 1	107	0 12
118	2 4	148	2 4
251	0 12	254	0 12
284	1 13	284	1 3
342	0 7	432	0 7
389	0 10	380	0 10
320	0 3	329	0 3
469	2 18	468	0 18
किता 487		किता 486	

1	2	3	4
मंजीर :			
264	0 1	264	0 2
271	0 3	271	0 1
285	0 4	285	0 3
298	0 3	298	0 4
333	0 1	333	0 2
342	0 2	342	0 1
382	0 3	382	0 2
479	0 4	479	0 3
505	0 3	505	0 4
523	0 1	523	0 3
593	0 10	593	0 1
640	0 19	640	0 10
647	0 16	647	0 19
747	0 11	747	0 16
757	0 3	757	0 11
1013	1 3	1013	0 3
16	10 18	16	1 3
19	0 5	19	10 18
20	4 4	20	0 5
21	0 1	21	4 4
258	0 2	258	0 1
265	0 3	265	0 2
272	0 7	272	0 3
641	0 14	641	0 17
123	0 16	123	0 6
396	0 5	393	0 5
1282/1235	0 12	1282/1235	3 12
98	0 5	998	0 5
699	0 3	699	0 2
1126	0 2	1129	0 2
किता 785		किता 1085	
कुल किता 1, 2 व 3 : 1957		कुल किता 1, 2 व 3 : 2256	

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव (उद्योग) ।

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला–171009, 18 जुलाई, 2000

सं0 पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 96/94-बरोटी-14607–13.––चूंकि श्रीमती किरपी देवी, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत बरोटी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी की निम्नलिखित आरोपों में प्राथमिक जांच के आधार पर संलिप्तता पाए जाने के कारण उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी द्वारा आदेश सं0 पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0–1841-45 दिनांक 9-5-2000 द्वारा प्रधान पद से निलम्बित किया गया। आरोपों का विवरण निम्न अनुसार है :––

1. यह कि श्रीमती किरपी देवी, प्रधान, द्वारा ग्राम पंचायत बरोटी ने विकास कार्यों के नाम पर आवश्यकता से अधिक राशि पंचायत के खाते से निकालकर अपने पास अवैध रूप से नगद शेष रखी गई जिसकी उन द्वारा दुरूपयोग किया जाता रहा।
2. यह कि दिनांक 31-3-99 को तीन विकास कार्यों के नाम पर पंचायत बचत खाता से 45000/- रुपये निकाले गए जबकि प्रधान के पास पहले ही मु0 27000/- रुपये थे । 31-3-99 को हिसाब प्रस्तुत करने के पश्चात भी प्रधान के पास मु0 52406/- रु0 अनाधिकृत शेष राशि दिनांक 9-5-99 तक रही । पुनः प्रधान द्वारा वाऊचर/हिसाब देने के बाद मु0 22406/- रुपये रोकड़ अनुसार निरीक्षण की दिनांक तक नगद शेष थी ।
3. निर्माण कुहल सैलापानी का व्यय रोकड़ में मु0 23740/- रु0 डाला गया है । निर्माण कमेटी सदस्यों ने उक्त व्यय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस व्यय में 6 ट्राली रेत, बजरी तथा 20 ट्राली बोल्डर पत्थर ढुलवाई आदि के बिल बिना सामग्री क्रय किए डाले गए हैं जिसके मु0 10860/- रुपये प्रधान से वसूली योग्य है।
4. निर्माण स्कूल बरोटी के शटर का व्यय रोकड़ अनुसार 29-12-1998 को मु0 5000/- रु0 बुक किया गया है जबकि 6-8-99 तक कोई भी शटर नहीं लगा था । इस प्रकार प्रधान द्वारा मु0 5000/- रु0 का फर्जी वाऊचर पंचायत को प्रस्तुत किया गया है।
5. उक्त प्रधान को उपरोक्त अनियमितताओं के समाधान हेतु बार-बार लिखा गया लेकिन प्रधान द्वारा अनियमितताओं का समाधान न करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।

और यह कि उक्त प्रधान के निलम्बन आदेशों की राज्य सरकार द्वारा दिनांक ———— को हिमाचल प्रदेश पंचयाती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) के अन्तर्गत पुष्टि भी की जा चुकी है। अब राज्य सरकार ने मामले में नियमित/विभागीय जांच करवाकर वास्तविक स्थिति जाननी चाही है जिस हेतु नियमित जांच करवाने का जनहित में निर्णय लिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) में प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्रीमती किरपी देवी, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत बरोटी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच हेतु जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी को जांच अधिकारी तथा पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्ति करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है । जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर-भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करें । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रिकार्ड प्रस्तुत करने के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे । श्रीमती किरपी देवी, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत बरोटी को भी निर्देश दिए जाते हे कि वे जांच अधिकारी के सम्मुख अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

शिमला–171009, 11 अगस्त, 2000

सं0 पी0 सी0 एच0-एच0ए0 (5) 3-97 चौपड़सा–17043–48.––यह कि श्री देवी सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत चौपड़सा, विकास खण्ड कुल्लू हिमाचल प्रदेश को ग्राम निधि के दुरुपयोग सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं में सलिप्त पाए जाने के कारण उपायुक्त, कुल्लू द्वारा आदेश सं0पी0सी0 एच0-कु(ग) (15 क) 33/79-1543-47, दिनांक 26-5-2000 को उनके पद से निलम्बित किया गया;

यह कि उक्त प्रधान द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीली प्राधिकारी के सम्मुख कोई भी अपील दायर नहीं की है । अतः राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर भीतर उक्त प्रधान के निलम्बन आदेशों की पुष्टि करने का जनहित में निर्णय लिया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) में प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए श्री देवी सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत चौपड़सा, विकास खण्ड कुल्लू ज़िला कुल्लू के उपायुक्त, कुल्लू द्वारा जारी निलम्बन आदेश दिनांक 26-5-2000 की पुष्टि के सहर्ष आदेश देते हैं ।

अधिसूचनाएं

शिमला-9, 18 अगस्त, 2000

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4)-9/2000-18338-488.––राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के परन्तुक (क) तथा (ख) में अन्तर्गत प्राप्त है, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जुलाई, 2000 को आंशिक रूप से संशोधित कर जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा अमरकोट से ग्राम 'शुभखड़ा' को अपवर्जित करके ग्राम सभा बद्रीपुर में सम्मिलित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव (पंचायत) ।

शिमला–171009, 11 अगस्त, 2000

सं0 पी0 सी0एच-एच0ए0 (3) 4/96-2-17032-37.––मैं, तरुण कपूर, निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के उप-नियम

(4) के अन्तर्गत प्राप्त हैं निम्न अनुसूचि में वर्णित पंचायत पदाधिकारियों द्वारा अपने पदों से दिए गए त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं :—

क्रम संख्या	ज़िला का नाम	पंचायत पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	त्याग-पत्र देने का कारण
1	2	3	4	5
1.	कांगड़ा	श्रीमती राज रानी।	सदस्य, जिला परिषद (मुन्दल), वार्ड नं0 8.	आंगन बाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मंझग्रां लदवाड़ा में कार्यरत

तरुण कपूर,
निदेशक ।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 11*th August*, 2000

No. 5-4/92-Tpt.—In exercise of the powers vested under section (3) of the Himachal Pradesh Ferries Act, 1956 (No. 10 of 1956), the undersigned accords sanction of the Government of Himachal Pradesh to establish a New Ferry Route mentioned hereunder, falling along Beas River in Fatehpur Block of Indora Tehsil, District Kangra and also to declare it as public ferry:—

"Mand-Bahadpur-Johar-Haled"

2. Sanction of the Government of Himachal Pradesh is also accorded for letting ferry tolls of the above public ferry, for a period of 5 years, by public auction to be conducted by Block Samiti Fatehpur, under the supervision and control of the Deputy Commissioner, Kangra.

3. This is in supersession of this departments notification of even number dated the 10th August, 2000.

By order,

S. S. NEGI,
F. C.-cum-*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित